

उत्तर प्रदेश शासन
चिकित्सा अनुभाग-8
संख्या-15/2017/181/पांच-8-2017-म(178)/2012 टीसी0
लखनऊ: दिनांक 12 जनवरी, 2017

कार्यालय-ज्ञाप

बी0आर0डी0 मेडिकल कालेज, गोरखपुर में द्विवर्षीय डिप्लोमा इन चाईल्ड हेल्थ (डी0सी0एच0) कराये जाने हेतु महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा पत्र संख्या-21फ/ए0ई0एस0/जे0ई0-डी0सी0एच0/2016/3007-9, दिनांक 21-10-2016 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार पात्र चिकित्साधिकारियों का डिप्लोमा के वर्ष, 2016 हेतु सेवा विवरण निम्नवत है-

क्र0सं0	चिकित्साधिकारी का नाम	श्रेणी	सेवा में आने की तिथि	कार्यरत स्थान
1	2	3	4	5
1	डा0 सिद्धार्थमणि दुबे	सामान्य	21-04-2010	नया प्राथ0 स्वा0 केन्द्र, छाता, बलिया
2	डा0 रूपेश कुमार कुशवाहा	सामान्य	13-05-2010	सामु0 स्वा0 केन्द्र, कप्तानगंज कुशीनगर।
3	डा0 मुजीबुल्ला	सामान्य	24-04-2010	सामु0 स्वा0 केन्द्र, कप्तानगंज कुशीनगर।
4	डा0 प्रभात कुमार मदेशिया	अ0पि0व0	28-04-2010	सामु0 स्वा0 केन्द्र, कैम्पियरगंज, गोरखपुर
5	डा0 संजय कुमार वर्मा	अ0पि0व0	22-06-2010	सामु0 स्वा0 केन्द्र, दुबहड, बलिया
6	डा0 प्रशान्त कुमार मोर्य	सामान्य	31-01-2011	नया प्राथ0 स्वा0 केन्द्र, शिवपति नगर, नौगढ, सिद्धार्थनगर
7	डा0 रोहित गुप्ता	अ0पि0व0	29-02-2012	20वीं वाहिनी, पी0ए0सी0 चिकित्सालय, आजमगढ
8	डा0 अनूप कुमार जायसवाल	सामान्य	02-03-2012	नया प्राथ0 स्वा0 केन्द्र, बेला कसैला, मऊ
9	डा0 संतोष कुमार दुबे	सामान्य	01-03-2012	सामु0 स्वा0 केन्द्र, बृजमनगंज, महाराजगंज

-2/----

- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
- 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

2- पूर्वान्चल में ए0ई0एस0/जे0ई0 को नियन्त्रित करने हेतु विशेषज्ञ चिकित्सक उपलब्ध कराये जाने हेतु पी0एम0एच0एस0 संवर्ग के उपर्युक्त 09 चिकित्साधिकारियों को बी0आर0डी0 मेडिकल कालेज, गोरखपुर से डिप्लोमा इन चाईल्ड हेल्थ (डी0सी0एच0) कराये जाने हेतु एतद्वारा अनुमति प्रदान की जाती है।

3- उपर्युक्त प्रस्तर-1 में वर्णित चिकित्साधिकारियों की अध्ययन की स्वीकृति निम्नांकित शर्तों पर प्रदान की जाती है-

- (1) अध्ययन की अवधि को ड्यूटी पर माना जायेगा और उन्हें वहीं वेतन व मंहगाई भत्ता अनुमन्य होगा, जो उनके प्रशिक्षण में न जाने पर ड्यूटी में देय होता है। अध्ययन अवधि में नगर प्रतिकर भत्ता/मकान किराया भत्ता यदि अनुमन्य हो तो दिये जाने के पूर्व उनसे सहायक नियम-152एफ में निर्धारित प्रारूप पर प्रमाण अवश्य प्राप्त कर लिया जाय।
- (2) चिकित्साधिकारियों के अध्ययन हेतु उनकी तैनाती के स्थान से संबंधित मेडिकल कालेज में आने तथा वापस जाने के लिये वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-2 में निहित नियमों के अनुसार सामान्य दरों पर यात्रा भत्ता देय होगा, किन्तु उन्हें अपने अध्ययनकाल में कोई दैनिक भत्ता अनुमन्य न होगा।
- (3) अध्ययन में पूर्व अथवा बाद में कोर्स ज्वाइनिंग टाईम अनुमन्य न होगा, किन्तु वास्तविक समय अध्ययन के स्थान पर जाने तथा वापस आने में लगेगा वह अध्ययन अवधि का ही भाग समझा जायेगा।
- (4) उक्त अध्ययन में प्रवेश, प्रशिक्षण लाईब्रेरी तथा परीक्षा शुल्क संबंधी व्यय चिकित्साधिकारियों द्वारा स्वयं वहन किया जायेगा तथा स्नात्कोत्तर (डिप्लोमा) पाठ्यक्रम का कार्यकाल 02 वर्ष होगा।
- (5) चिकित्साधिकारियों से शासनादेश संख्या-1653/चि-3-11-जी-179/2005, दिनांक 25-05-2011 में उल्लिखित आशय का अनुबन्ध निष्पादित कराया जायेगा।
- (6) उन्हें स्नात्कोत्तर योग्यता वेतन अनुमन्य नहीं होगा।
- (7) डिप्लोमा पूर्ण करने के उपरान्त चिकित्साधिकारी स्वतः विशेषज्ञ सेवा कर सकेंगे।
- (8) संबंधित चिकित्साधिकारियों के प्रशिक्षण अवधि का वेतन व भत्ते उनके मूल तैनाती स्थान से आहरित होंगे।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

- (9) उक्त अध्ययन के उपरान्त संबंधित चिकित्साधिकारी अपनी मूल तैनाती स्थान पर ही कार्यभार ग्रहण करेंगे। इस अवधि में उनका स्थानान्तरण नहीं किया जायेगा।
- (10) उपर्युक्त स्नात्कोत्तर अध्ययन हेतु संबंधित चिकित्साधिकारी अपने वर्तमान तैनाती स्थान से स्वतः कार्यमुक्त समझे जायेंगे।

वी० हेकाली झिमोमी
सचिव।

संख्या-15/2017/181 (1)/पांच-8-2017-तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- प्रधान महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
- 2- महानिदेशक/निदेशक(प्रशिक्षण), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, 30प्र०, लखनऊ।
- 3- प्राधानाचार्य बी०आर०डी० मेडिकल कालेज गोरखपुर।
- 4- निदेशक(प्रशासन), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, 30प्र०, लखनऊ।
- 5- निदेशक ए०ई०एस०/जे०ई०, स्वास्थ्य भवन, लखनऊ।
- 6- सम्बन्धित मुख्य चिकित्साधिकारी (द्वारा निदेशक प्रशासन)
- 7- वित्त (सामान्य) अनुभाग-1/वित्त (व्यय नियन्त्रण) अनुभाग-3
- 8- चिकित्सा अनुभाग-2/3
- 9- प्रभारी कम्प्यूटर सेल को इस आशय से प्रेषित कि कृपया उक्त आदेश को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।
- 10- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

शिवगोपाल सिंह,
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।